

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-17

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

संस्थापित विद्युत क्षमता

†17. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री काली चरण सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तापीय, जलविद्युत, परमाणु और नवीकरणीय/गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों सहित देश की वर्तमान संस्थापित विद्युत क्षमता की प्रतिशतवार संरचना क्या है;

(ख) 500 गीगावाट से अधिक संस्थापित क्षमता प्राप्त करने में योगदान देने वाले नीतिगत, तकनीकी और निवेश कारकों का ब्यौरा और इस उपलब्धि का सीओपी-26 के पंचामृत लक्ष्यों तथा दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण रूपरेखा पर इसका प्रभाव क्या है;

(ग) परमाणु ऊर्जा जैसे स्वच्छ और सुरक्षित स्रोतों के माध्यम की भारत की ऊर्जा संरचना में विविधता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(घ) झारखंड राज्य के चतरा संसदीय क्षेत्र में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सुदृढ़ बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) परमाणु ऊर्जा जैसे स्वच्छ, सुरक्षित और विश्वसनीय स्रोतों के विस्तार से भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा किस प्रकार सुदृढ़ होगी और यह नेट-जीरो 2070 लक्ष्य प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान देगी?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, देश की कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता 5,13,730 मेगावाट हो गई है, जिसमें 2,46,942 मेगावाट जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से तथा 2,66,788 मेगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता की संरचना का विवरण, जिसमें नवीकरणीय तथा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों का प्रतिशत के रूप में हिस्सा दर्शाया गया है, अनुबंध-1 पर दिया गया है।

**(ख), (ग) एवं (ङ) :** 1. भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने संबंधी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और इसमें तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं और पहले की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (इसके बाद जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य आरंभ होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030 तक चालू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% तक माफ किया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआई) ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आईआईए) द्वारा प्रतिवर्ष 50 गीगावाट की दर से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत खरीद बोलियों के निर्गमन हेतु बोली ट्रेजेक्ट्री जारी किया है।
- (iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- (v) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयू) के अंतर्गत जनजातीय एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) आबादी/गांवों के लिए नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीम शुरू की गई हैं।
- (ix) भारत सरकार ने सितंबर, 2023 में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीएसईएस) के विकास हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम को स्वीकृति प्रदान की थी। इस स्कीम के अंतर्गत 3,760 करोड़ रु. के बजटीय प्रावधान के साथ 13.22 गीगावाट-घंटा बीईएसएस क्षमता का कार्यान्वयन किया जा रहा है। बीईएसएस की बढ़ती मांग को देखते हुए विद्युत मंत्रालय ने जून, 2025 में 30 गीगावाट-घंटा बीईएसएस क्षमता के विकास हेतु एक और वीजीएफ स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- (x) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के पश्चात नवीकरणीय खपत दायित्व (आरसीओ) की ट्रेजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर नवीकरणीय खपत दायित्व

लागू है, का अनुपालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान होगा। आरसीओ में विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निर्धारित मात्रा में ऊर्जा खपत का प्रावधान भी शामिल है।

- (xi) “अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति” जारी की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को लागू कर रही है।
- (xiii) नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण तथा ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु पंच स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में देश में कुल 11,870 मेगावाट क्षमता वाली 10 पंच स्टोरेज परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

2. इसके अतिरिक्त, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूक्लियर ऊर्जा में अपार संभावनाएं हैं और यह वर्ष 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह बेस लोड पावर का एक स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल स्रोत है। न्यूक्लियर ऊर्जा से होने वाले लाईफ-साईकिल उत्सर्जन जलविद्युत एवं पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के तुलनीय हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। न्यूक्लियर ऊर्जा के माध्यम से भारत के ऊर्जा पोर्टफोलियो में विविधता लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. वर्ष 2033 तक कम-से-कम पाँच स्वदेशी रूप से अभिकल्पित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने तथा उन्नत न्यूक्लियर प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक समर्पित न्यूक्लियर **ऊर्जा मिशन** प्रारंभ किया गया है।
- ii. स्वदेशी संसाधनों के आधार पर भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता का अधिकतम उपयोग सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी से सुनिश्चित करने हेतु भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया गया है।
- iii. भारत की प्रमाणित प्रेसराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) प्रौद्योगिकी पर आधारित 220 मेगावाट क्षमता वाले **भारत स्मॉल रिएक्टर (बीएसआर)** को औद्योगिक केंद्रों में तैनाती हेतु उन्नत किया जा रहा है, जिससे डी-कार्बोनाइजेशन में सहायता मिल सके। इसके अतिरिक्त, बीएसआरसी द्वारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों का भी विकास किया जा रहा है।
- iv. एक महत्वपूर्ण खोज सहित नई यूरेनियम खोजों के माध्यम से भारत की ईंधन सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है, जिससे जादुगुड़ा खदान की समयावधि 50 वर्षों से अधिक बढ़ जाएगी। क्लोज्ड फ्यूल साईकिल में हुई प्रगति, जैसे प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्राप्त उपलब्धियां, सतत ईंधन आपूर्ति को और मजबूती प्रदान करेंगी।
- v. क्षमता वृद्धि को गति देने के लिए एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने मौजूदा वैधानिक ढांचे के अंतर्गत न्यूक्लियर संयंत्रों के विकास हेतु “अश्विनी” नामक संयुक्त उपक्रम का गठन किया है।

3. राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत के डी-कार्बोनाइजेशन प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा तथा रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के अवसर भी उत्पन्न करेगा। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2030 तक कम-से-कम 5 **एमएमटी प्रति वर्ष** हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

4. भारत ने अपनी ऊर्जा पारगमन की यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, जब जून, 2025 में देश की संस्थापित क्षमता का **50 प्रतिशत** गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त हो गया, जो पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (एनडीसी) के तहत निर्धारित लक्ष्य से पाँच वर्ष पहले ही प्राप्त हो गया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लक्ष्य की दिशा में इस उपलब्धि का भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा पारगमन रोडमैप पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो ऊर्जा सुरक्षा, वहनीयता और सुलभता को अपरिहार्य प्राथमिकताओं के रूप में ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2070 तक नेट-जीरो की दिशा में अर्थव्यवस्था के ऊर्जा पारगमन के साथ-साथ विकास और प्रगति सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

(घ) : झारखंड राज्य में दो तापविद्युत परियोजनाएं निर्माण के चरण में हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, झारखंड राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं:

#### **पारेषण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण:**

(i) 220/132/33 केवी ग्रिड उप-केंद्र, इतखोरी का निर्माण कर इसे 01.10.2021 को ऊर्जीकृत किया गया है। यह ग्रिड चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए समर्पित है।

(ii) चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु पाँच अन्य ग्रिड उप-केंद्र, यथा- हंटरगंज, सिमरिया, महुआधार, चांदवा एवं धारा (चतरा) कार्यान्वयनाधीन हैं। इनमें से सिमरिया एवं धारा (चतरा) ग्रिड उप-केंद्रों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इन्हें बैक-चार्ज कर दिया गया है। संबंधित पारेषण लाइन के कार्य पूर्ण होने के पश्चात इन्हें पूर्ण लोड पर ऊर्जीकृत किया जाएगा। शेष 3 ग्रिड उप-केंद्र निर्माणाधीन हैं तथा कार्य पूर्ण होने पर ऊर्जीकृत किए जाएंगे।

**वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण:** भारत सरकार, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के प्रयासों को सहायता प्रदान कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 116.8 करोड़ रु. की वितरण संबंधी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें पुराने/क्षतिग्रस्त केबलों का प्रतिस्थापन, नई एचटी/एलटी लाइनें, एचटी/एलटी लाइनों का उन्नयन, नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, आरडीएसएस के अंतर्गत चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 1,615 घरों के लिए 7.04 करोड़ रु. की लागत से घरों के विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें **पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान)** के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के परिवार, **डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान)** के अंतर्गत चिह्नित अनुसूचित जनजाति परिवार तथा **पीएम-अजय (प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना)** के अंतर्गत चिह्नित अनुसूचित जाति परिवार शामिल हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि **मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना (एमयूजेवाई)** के अंतर्गत भी वितरण अवसंरचना से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत पूरे किए गए कार्यों में 91 बसावटों में विद्युतीकरण, 166 किलोमीटर नई 11 केवी लाइन, 205 किलोमीटर एलटी लाइन तथा 25 केवीए/63 केवीए/100 केवीए क्षमता के 115 वितरण ट्रांसफॉर्मरों की स्थापना शामिल है।

देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता की संरचना का विवरण, नवीकरणीय और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी का प्रतिशत-वार विवरण निम्नलिखित है:

देश में दिनांक 31.12.2025 तक संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)			
श्रेणी		संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	कुल हिस्सेदारी का %
जीवाश्म ईंधन	कोयला	2,19,610	42.75%
	लिग्नाइट	6,620	1.29%
	गैस	20,122	3.92%
	डीजल	589	0.11%
	<b>कुल थर्मल/जीवाश्म</b>	<b>2,46,942</b>	<b>48.07%</b>
गैर-जीवाश्म ईंधन	<b>आरईएस (हाइड्रो सहित)</b>	<b>2,58,008</b>	<b>50.22%</b>
	हाइड्रो (पीएसपी सहित)	50,915	9.91%
	पवन, सौर एवं अन्य आरई	2,07,093	40.31%
	पवन	54,511	10.61%
	सौर	1,35,810	26.44%
	बायोमास विद्युत/कोजेन.	10,757	2.09%
	अपशिष्ट से ऊर्जा	857	0.17%
	लघु हाइड्रो	5,159	1.00%
	न्यूक्लियर	8,780	1.71%
	<b>कुल गैर-जीवाश्म ईंधन</b>	<b>2,66,788</b>	<b>51.93%</b>
	<b>कुल संस्थापित क्षमता</b>	<b>5,13,730</b>	<b>100.0%</b>

झारखंड राज्य में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	जिला	यूनिट सं.	क्षमता मेगावाट में
1	पतरातू एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	केंद्रीय	रामगढ़	2	800
				3	800
कोडरमा	1		800		
	2		800		
2	कोडरमा टीपीएस, चरण-II/ डीवीसी				

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या: 65  
दिनांक 29.01.2026 को उत्तरार्थ

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति

†65. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की प्रगति का विवरण क्या है; और

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य को आरडीएसएस के संबंध में आबंटित बजट का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाइक)

(क) : भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर एवं प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के लिए जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की ताकि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस स्कीम का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है तथा केंद्र सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) 97,631 करोड़ रुपये है।

इस स्कीम के अंतर्गत वितरण यूटिलिटी (निजी क्षेत्र की वितरण यूटिलिटी को छोड़कर) को हानि में कमी करने के लिए अवसंरचना कार्यों तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हानि में कमी हेतु अवसंरचना कार्यों के लिए 1.53 लाख करोड़ रुपये तथा स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे देश में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार होगा।

हानि में कमी हेतु स्वीकृत कार्यों में पुराने/क्षतिग्रस्त कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी) एवं उप-स्टेशनो का उन्नयन/क्षमता संवर्धन, फीडर पृथक्करण कार्य आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 13,65,139 घरों (जिसमें 4,203 सार्वजनिक स्थल शामिल हैं) जहाँ भी व्यवहार्य हो, के लिए ग्रिड विद्युतीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इसमें पीएम-जनमन (प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी

न्याय महा अभियान) के अंतर्गत चिह्नित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) परिवार, डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत चिह्नित अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत चिह्नित अनुसूचित जाति परिवार तथा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों के परिवार शामिल हैं। कुल मिलाकर, अब तक हानि में कमी संबंधी कार्यों की वास्तविक प्रगति 37% रही है।

इसके अतिरिक्त, एडवांस्ड मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) के अंतर्गत 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 2.05 लाख फीडरों तथा 52.53 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्य स्वीकृत किए गए हैं। अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 3.9 करोड़ उपभोक्ताओं, 1.62 लाख फीडरों तथा 13.14 लाख वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर, विभिन्न स्कीमों के तहत देशभर में 5.44 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

अब तक, स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत 38,342 करोड़ रुपये की निधियां जारी की जा चुकी है।

स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना वितरण यूटिलिटी के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय प्रदर्शन में सुधार पर निर्भर है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों के साथ-साथ इस व्यवस्था ने वितरण यूटिलिटी को सरकारी सब्सिडी एवं सरकारी विभागों के बकाया के समय पर भुगतान, नियमित टैरिफ आदेश जारी करना, लेखों का समय पर प्रकाशन, नियामक परिसंपत्तियों का सृजन न करना आदि के माध्यम से वित्तीय अनुशासन स्थापित करने में सहायता की है। केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्त वर्ष 2020-21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 15.04% रह गई हैं तथा एसीएस-एआरआर अंतर भी वित्त वर्ष 2020-21 में 0.69 रुपये प्रति यूनिट (किलोवाट घंटा) से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 0.06 रुपये प्रति यूनिट (किलोवाट घंटा) हो गया है।

**(ख) :** आरडीएसएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं/आवंटित बजट का जिले-वार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

दिनांक 15.01.2026 तक आरडीएसएस के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में स्वीकृत परियोजना लागत और केंद्रीय सकल  
बजटीय सहायता (जीबीएस) का जिलेवार विवरण

क्रम सं.	जिला	वितरण अवसंरचना कार्य की स्वीकृत लागत (एलआर)	वितरण अवसंरचना कार्य (एलआर) के लिए स्वीकृत केन्द्रीय जीबीएस	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों (एसएम) की स्वीकृत लागत	स्मार्ट मीटरिंग कार्यों (एसएम) के लिए स्वीकृत केंद्रीय जीबीएस
1	आगरा	198.65	119.19	294.75	44.21
2	अलीगढ़	410.10	246.06	288.23	43.23
3	औरैया	145.83	87.50	138.70	20.80
4	बाँदा	196.66	118.00	201.36	30.20
5	चित्रकूट	129.48	77.69	112.29	16.84
6	एटा	231.84	139.10	154.83	23.22
7	इटावा	171.78	103.07	127.31	19.10
8	फर्रुखाबाद	169.61	101.77	142.43	21.36
9	फिरोजाबाद	295.55	177.33	223.33	33.50
10	हमीरपुर	107.93	64.76	135.08	20.26
11	हाथरस	163.16	97.90	178.19	26.73
12	जालौन	169.54	101.72	175.80	26.37
13	झांसी	200.58	120.35	210.37	31.55
14	कन्नौज	133.95	80.37	155.00	23.25
15	कानपुर देहात	117.28	70.37	177.87	26.68
16	कानपुर नगर	114.71	68.83	175.38	26.31
17	कासगंज (काशीराम नगर)	217.20	130.32	136.95	20.54
18	ललितपुर	119.48	71.69	103.26	15.49
19	महोबा	96.80	58.08	97.83	14.68
20	मैनपुरी	173.02	103.81	190.64	28.60
21	मथुरा	326.08	195.65	243.50	36.53
22	कानपुर	1330.10	798.06	328.40	49.26
23	अमेठी	130.39	78.23	215.20	32.28
24	अयोध्या	174.52	104.71	215.21	32.28
25	शाहजहांपुर	266.37	159.82	263.12	39.47
26	बहराईच	156.24	93.74	276.18	41.43
27	बाराबंकी	197.86	118.72	215.20	32.28
28	बरेली	429.70	257.82	392.09	58.81
29	श्रावस्ती	75.72	45.43	123.77	18.57
30	गोंडा	367.43	220.46	294.29	44.14
31	हरदोई	221.98	133.19	209.41	31.41
32	लखीमपुर खीरी	196.77	118.06	360.59	54.09
33	लखनऊ	938.00	562.80	669.63	100.44
34	रायबरेली	228.42	137.05	352.41	52.86
35	पीलीभीत	199.03	119.42	202.70	30.41
36	उन्नाव	167.64	100.58	235.85	35.38

37	अंबेडकरनगर	158.42	95.05	215.20	32.28
38	बलरामपुर	130.42	78.25	137.07	20.56
39	शाहजहांपुर	230.89	138.53	233.15	34.97
40	सीतापुर	221.41	132.85	183.08	27.46
41	सुल्तानपुर	158.85	95.31	215.20	32.28
42	बागपत	98.96	59.38	197.78	29.67
43	बिजनौर	341.00	204.60	509.03	76.36
44	बुलन्दशहर	362.56	217.54	465.98	69.90
45	गौतम बुद्ध नगर	190.25	114.15	249.51	37.43
46	गाजियाबाद	236.45	141.87	645.62	96.84
47	हापुड	183.73	110.24	205.15	30.77
48	जेपी नगर (अमरोहा)	131.27	78.76	256.36	38.45
49	मेरठ	327.66	196.60	433.70	65.06
50	मुरादाबाद	278.19	166.91	401.79	60.27
51	मुजफ्फरनगर	269.37	161.62	406.76	61.01
52	रामपुर	142.69	85.61	276.35	41.45
53	सहारनपुर	448.68	269.21	475.51	71.33
54	संभल	487.74	292.64	216.90	32.54
55	शामली	106.05	63.63	206.45	30.97
56	नोएडा	1313.50	788.10	0.00	0.00
57	प्रयागराज	806.94	484.16	309.89	46.48
58	प्रतापगढ़	355.37	213.22	296.68	44.50
59	फतेहपुर	369.94	221.96	236.43	35.46
60	कौशांबी	237.05	142.23	133.51	20.03
61	मिर्जापुर	169.42	101.65	213.75	32.06
62	सोनभद्र	204.08	122.45	172.79	25.92
63	वाराणसी	1927.93	1156.76	139.36	20.90
64	चंदौली	90.77	54.46	158.62	23.79
65	गाजीपुर	209.74	125.84	277.28	41.59
66	जौनपुर	327.42	196.45	381.55	57.23
67	आजमगढ़	171.61	102.96	380.99	57.15
68	बलिया	294.80	176.88	199.15	29.87
69	मऊ	223.73	134.24	207.42	31.11
70	गोरखपुर	194.14	116.48	324.10	48.62
71	देवरिया	160.31	96.19	245.29	36.79
72	कुशीनगर	134.52	80.71	264.16	39.62
73	महाराजगंज	74.96	44.98	261.19	39.18
74	बस्ती	96.70	58.02	250.39	37.56
75	संत कबीर नगर	39.90	23.94	152.24	22.84
76	सिद्धार्थ नगर	195.43	117.26	206.76	31.01
77	संत रविदास नगर	131.93	79.16	126.19	18.93
<b>कुल</b>		<b>21204.16</b>	<b>12722.50</b>	<b>18885.47</b>	<b>2832.82</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-81

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

चौसा ताप विद्युत संयंत्र

81. श्री सुधाकर सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के बक्सर जिले में स्थित चौसा ताप विद्युत संयंत्र कोयले की अनुपलब्धता या आपूर्ति में रुकावट के कारण अलग-अलग समय के लिए आंशिक या पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो इस विद्युत संयंत्र के आरंभ होने से लेकर अब तक कोयले की कमी के कारण यह कितने दिनों तक बंद रहा है;

(ख) चौसा विद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता, वास्तविक उत्पादन प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ), कोयले की आपूर्ति की स्थिति और आज तक बंद रहने की अवधि सहित समेकित आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का राज्य की ऊर्जा सुरक्षा में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, कोयला संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दीर्घकालिक ईंधन आपूर्ति समझौतों, कोयला सम्मिश्रण या अन्य स्रोतों से खरीद जैसे वैकल्पिक उपायों को अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : बिहार के बक्सर जिले के चौसा में स्थित 1320 मेगावाट (2×660 मेगावाट) क्षमता वाली बक्सर ताप विद्युत परियोजना (बीटीपीपी) का क्रियान्वयन एसजेवीएन थर्मल पावर लिमिटेड (एसटीपीएल) द्वारा किया जा रहा है, जो एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसजेवीएन लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सीपीएसई है। परियोजना की यूनिट 1 (660 मेगावाट) ने दिनांक 14.11.2025 को वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त कर ली थी।

सीओडी के पश्चात बिहार राज्य को विद्युत आपूर्ति हेतु इस 'यूनिट' को निरंतर संचालन में रखा गया। इसके बाद ट्रायल-रन पूर्ण होने के उपरांत 'यूनिट' के स्थिरीकरण हेतु कुछ कार्य किए जाने आवश्यक थे, जिसके लिए शटडाउन की आवश्यकता पड़ी। परिणामस्वरूप आवश्यक कार्यों को संपादित करने हेतु 'यूनिट' को दिनांक 15.12.2025 से 04.01.2026 तक 20 दिनों के लिए शटडाउन पर रखा गया।

(ख) : बक्सर ताप विद्युत परियोजना से संबंधित संस्थापित क्षमता, वास्तविक विद्युत उत्पादन (पीएलएफ), कोयला आपूर्ति की स्थिति तथा शटडाउन अवधि का समेकित विवरण निम्नानुसार है:

- **संस्थापित क्षमता:** यूनिट 1 (660 मेगावाट) की कमीशनिंग दिनांक 14.11.2025 को की गई तथा यूनिट 2 (660 मेगावाट) निर्माणाधीन है।
- **विद्युत उत्पादन (14.11.2025 से 14.12.2025):** 55% पीएलएफ पर 268.635 एमयू।
- **विद्युत उत्पादन (05.01.2026 से 16.01.2026):** 70% पीएलएफ पर 91.235 एमयू।
- **कोयला आपूर्ति:** एफएसए (ईंधन आपूर्ति समझौते) के अंतर्गत सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) से 2,53,035 मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ है (दिनांक 17.01.2026 तक)।
- **शटडाउन अवधि:** दिनांक 15.12.2025 से 04.01.2026 (20 दिन)।

(ग) एवं (घ) : एसटीपीएल ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के साथ दीर्घकालिक आधार पर 20 वर्षों के लिए 85% पीएलएफ पर प्रति वर्ष 4.976 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कोयले की आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) किया है। अतः किसी वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने कोयला आधारित क्षमता के लिए कोयले की मांग की पूर्ति हेतु अवसंरचना विकास, नीतिगत सुधार तथा उत्पादन वृद्धि को सम्मिलित करते हुए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. देश में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन कर कैप्टिव खदानों को अंतिम उपयोग संयंत्रों की आवश्यकता पूरी करने के पश्चात अपने वार्षिक उत्पादन के 50 प्रतिशत तक विक्रय की अनुमति देना, माइन डेवलपर एवं ऑपरेटर (एमडीओ) मोड के माध्यम से उत्पादन, सामूहिक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग, नई परियोजनाओं के शुरुआत एवं मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार तथा वाणिज्यिक खनन हेतु निजी कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक खनन में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है।
- ii. भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन हेतु संशोधित शक्ति (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन और आवंटन योजना) नीति को स्वीकृति प्रदान की है। यह संशोधित शक्ति नीति अधिक अनुकूल, व्यापक पात्रता तथा कोयले की बेहतर उपलब्धता के माध्यम से विद्युत क्षेत्र को सहायता प्रदान करेगी।
- iii. आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने एवं सततता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला लॉजिस्टिक्स योजना एवं नीति प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं की पहचान की गई है, जो रेल संपर्क में सुधार, समय पर कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए आवश्यक हैं, जिससे देशभर में कोयला परिवहन की समग्र दक्षता में वृद्धि होगी।
- iv. विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है, जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, विद्युत मंत्रालय के सचिव तथा कोयला मंत्रालय के सचिव शामिल हैं।
- v. कोयला कंपनियों तथा विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह कोयला आपूर्ति की निरंतर निगरानी करता है, जो तापविद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने हेतु प्रचालन संबंधी विभिन्न निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करते हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-97  
दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

आंध्र प्रदेश में ऊर्जावीर योजना

†97. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा आरंभ की गई ऊर्जावीर योजना के अंतर्गत इसके आरंभ के बाद से "ऊर्जावीर" के रूप में पंजीकृत और प्रशिक्षित व्यक्तियों का वर्ष-वार, राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिला सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में पीएमएवाई ऊर्जा-कुशल उपकरण पहल के अंतर्गत इसके आरंभ होने के बाद से पात्र परिवारों को वर्ष-वार और काकीनाडा जिला सहित जिला-वार कितने एलईडी बल्ब, एलईडी बैटन और पांच सितारा ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर (बीएलडीसी) पंखे वितरित किए गए हैं;

(ग) राष्ट्रीय दक्षता पाक कला कार्यक्रम (एनईसीपी) का ब्यौरा क्या है और इसके आरंभ होने के बाद से लाभार्थियों द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में काकीनाडा जिला सहित जिला-वार और वर्ष-वार कितने इलेक्ट्रिक कुकिंग साधन खरीदे गए हैं;

(घ) क्या सरकार का इन पहलों को अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ईईएसएल के माध्यम से दोहराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभिन्न ईईएसएल कार्यक्रमों ने पिछले पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा बचत में योगदान दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डिस्कॉम को वर्ष-वार और राज्य-वार कितना वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री  
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा शुरू की गई ऊर्जावीर योजना एक वॉलंटियर-आधारित कार्यक्रम है, जिसे 7 दिसंबर 2024 को आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत, लोगों को ऊर्जा कुशल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत और प्रशिक्षित किया जाता है। ईईएसएल द्वारा ऊर्जावीरों का जिलेवार विवरण नहीं रखा जाता है। तथापि शुरुआत के बाद से आंध्र प्रदेश सहित, जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं, उनका विवरण **अनुबंध-1** पर दिया गया है।

(ख) : ईईएसएल ने आंध्र प्रदेश में पीएमएवाई ऊर्जा कुशल उपकरण पहल के तहत किसी भी ऊर्जा कुशल उपकरण की आपूर्ति नहीं की है।

(ग) : ईईएसएल द्वारा इलेक्ट्रिक कुकिंग सॉल्यूशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवंबर 2023 में राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम (एनईसीपी) शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत महिला विकास और बाल कल्याण विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ियों में बांटने के लिए 11,400 इंडक्शन कुकटॉप खरीदे। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में फुटकर उपभोक्ताओं ने 19 इंडक्शन कुकटॉप खरीदे। शुरुआत के बाद से ईईएसएल द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में की गई कुकटॉप की आपूर्ति के आधार पर जिलेवार विवरण (काकीनाडा जिले सहित) अनुबंध-II पर है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव परिकल्पित नहीं है।

(ङ) और (च) : ईईएसएल के कार्यक्रमों अर्थात उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज़ फॉर ऑल (उजाला) और स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी), जो 2015 में शुरू किए गए थे, ने ऊर्जा बचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। पिछले पांच वर्षों अर्थात 2020-21 से 2024-25 तक इन कार्यक्रमों के तहत हासिल की गई कुल ऊर्जा बचत लगभग 284 बिलियन किलोवाट-घंटे होने का अनुमान है।

वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को होने वाले वर्ष-वार और राज्य-वार वित्तीय लाभों को ईईएसएल द्वारा मापा नहीं जाता है। तथापि उजाला और एसएलएनपी कार्यक्रमों को लागू करने से लगभग 11,000 मेगावाट की अनुमानित उच्च मांग में कमी हासिल की गई है।

राज्य	ऊर्जावीरों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश	8685
महाराष्ट्र	209
अरुणाचल प्रदेश	39
बिहार	30
तेलंगाना	15
तमिलनाडु	14

जिला/वर्ष	इंडक्शन कुकटॉप की कुल संख्या
श्रीकाकुलम	328
पार्वतीपुरममन्यम	368
विजयनगरम	514
अल्लूरी सीतारमा राजू	412
विशाखापत्तनम	607
अनकापल्ली	255
काकीनाडा	455
पूर्वी गोदावरी	408
डॉ.बी.आर.आंबेडकरकोनसीमा	274
पश्चिम गोदावरी	228
एलुरु	406
एनटीआर	587
कृष्णा	372
गुंटूर	499
पालनाडु	337
बापतला	440
प्रकाशम	464
एसपीएसआर नेल्लोर	693
तिरुपति	588
चित्तूर	516
अन्नमय्या	351
श्री सत्य साई	526
वाईएसआर	428
अनंतपुर	494
कुरनूल	530
नांदयाल	339
<b>कुल</b>	<b>11419</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-98

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025

†98. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लागत-अनुरूप टैरिफ, खुली पहुंच, नियामक जवाबदेही और गैर-जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बढ़ावा देने सहित प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव करते हुए विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दूरस्थ/जनजातीय जिलों में वितरण कंपनियों (डिस्कॉम), विद्युत नियामकों और उपभोक्ताओं से संबंधित प्रस्तावित विधेयक की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये विशेषताएं विशेष रूप से महाराष्ट्र में लागू होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय का कमजोर उपभोक्ताओं (जैसे जनजातीय परिवारों) को टैरिफ में अचानक वृद्धि या सेवा व्यवधान से बचाने के लिए सुधार ढांचे के भीतर सुरक्षा उपाय या विशेष प्रावधान लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विधेयक पारित होने, नियम अधिसूचित होने और महाराष्ट्र के जनजातीय और पिछड़े जिलों में इसके लागू होने की कब तक संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) एवं (ख) : केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के उद्देश्य से विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया गया है। इस विधेयक में *विकसित भारत @ 2047* के विज्ञान के अनुरूप वित्तीय स्थिरता के उपाय, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, नियामक जवाबदेही को सुदृढ़ करने तथा गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन की ओर भारत के ऊर्जा पारगमन को तीव्र करने के उपाय प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं—

(i) **वित्तीय व्यवहार्यता:** विश्वसनीय एवं किफायती विद्युत आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारियों की वित्तीय स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित संशोधनों के अंतर्गत लागत-प्रतिबिम्बित टैरिफ तथा आयोगों को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से स्वतः प्रभावी टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार देना अधिदेशित है।

(ii) **आर्थिक प्रतिस्पर्धा:** उच्च औद्योगिक टैरिफ, क्रॉस-सब्सिडी तथा बढ़ती विद्युत खरीद लागत के कारण औद्योगिक प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई है। प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य टैरिफ का युक्तिकरण, मांग को प्रोत्साहित करना, लागत में कमी लाना तथा भारत की आर्थिक उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

(iii) **ऊर्जा पारगमन:** वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु संशोधनों में सीईआरसी को निवेश आकर्षित करने और नवीकरणीय क्षमता वृद्धि को तेज करने के लिए बाजार-आधारित साधन लागू करने संबंधी अधिकार देने का प्रस्ताव है। साथ ही, विद्युत अधिनियम को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुरूप करने के लिए अनिवार्य गैर-जीवाश्म ऊर्जा दायित्व प्रस्तावित किए गए हैं।

(iv) **जीवन सुगमता एवं व्यवसाय सुगमता:** आपूर्ति की गुणवत्ता एवं जवाबदेही में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्तर पर समान सेवा मानक प्रस्तावित हैं। उपभोक्ता-हितैषी प्रावधानों में अनधिकृत उपयोग के लिए आकलन अवधि को एक वर्ष तक सीमित करना तथा अपील हेतु पूर्व-जमा राशि की आवश्यकता में कमी शामिल है।

(v) **नियामक सुदृढीकरण:** जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव है कि सरकारें सीईआरसी और एसईआरसी सदस्यों के विरुद्ध निष्कासन संबंधी विस्तृत आधार सहित शिकायत कर सकती हैं। न्यायनिर्णयन हेतु 120 दिनों की समय-सीमा और लंबित मामलों के निपटान के लिए ऐपटेल की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल है।

(vi) **अन्य सुधार:** विद्युत लाइनों की संस्थापना एवं अनुरक्षण से संबंधित शक्तियों को निरस्त टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 से विद्युत अधिनियम, 2003 में समाहित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए राज्यों द्वारा मुआवजा रूपरेखा निर्धारित की जाएगी। नेटवर्क के दोहराव और लागत में कमी हेतु, नियामकीय स्वीकृति एवं शुल्क के अध्यक्षीन साझा नेटवर्क के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की अनुमति देने का प्रस्ताव भी किया गया है।

(ग) : अधिनियमित होने पर, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रावधान महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में समान रूप से लागू होंगे।

(घ) : जनजातीय परिवारों सहित निर्दिष्ट उपभोक्ता श्रेणियों के लिए सब्सिडी धारा 65 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी रूप से वित्तपोषित की जा सकती है, जिससे विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता प्रभावित न हो।

(ङ) : विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 के मसौदे पर हितधारकों से दिनांक 9 अक्टूबर, 2025 को टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थी। यह विधेयक वर्तमान में परामर्श चरण में है तथा विभिन्न श्रेणियों के हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया जारी है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-108

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत की कमी का प्रभाव

†108. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और देश में अन्य राज्यों के शहरी, ग्रामीण, विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली की कमी का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्षेत्रों में बिजली की कमी के क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर बिजली की कमी के प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग): देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। देश की वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता 513.730 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से 289.607 गीगावाट नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी के गंभीर मुद्दे का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी वाले देश से विद्युत पर्याप्तता देश में बदल गया है।

पिछले तीन वर्षों के लिए महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति और वर्तमान वित्त वर्ष अर्थात् 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) का विवरण अनुबंध पर संलग्न है। इन विवरणों से संकेत मिलता है कि आपूर्ति की गई ऊर्जा केवल मामूली अंतर के साथ ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप है जो आम तौर पर राज्य पारेषण/वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है। इसलिए अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास पर कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इसके अलावा, विद्युत के समवर्ती विषय होने के नाते, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं/क्षेत्रों/जिलों की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से

केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके और उनसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है।

(घ) : सरकार ने देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

#### 1. उत्पादन आयोजना:

(i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, 2031-32 में संस्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से आगे बनी रहे, सभी राज्यों ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ परामर्श कर अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10 वर्षों की गतिशील रोलिंग योजनाएँ हैं तथा इनमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत क्रय की योजना भी शामिल है।

(ii) सभी राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताओं के निर्माण/अनुबंध के लिए प्रक्रिया शुरू करें।

(iii) विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम शुरू किए हैं:

(क) दिनांक 31.03.2023 को 2,11,855 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की तुलना में वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट होने का अनुमान है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कई पहलें पहले ही की जा चुकी हैं। अप्रैल, 2023 से दिनांक 20.01.2026 तक लगभग 17,360 मेगावाट की तापीय क्षमताएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। इसके अलावा, 39,545 मेगावाट तापीय क्षमता (4,845 मेगावाट संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं सहित) वर्तमान में निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट के अनुबंध अवाइड किए जा चुके हैं और निर्माण के लिए नियत हैं। इसके अलावा, 24,020 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित कैन्डीडेट क्षमता चिह्नित की गई है जो देश में आयोजना के विभिन्न चरणों में है।

(ख) 12,973.5 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, 4,274 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाएं आयोजना के विभिन्न चरणों में हैं और इनको वर्ष 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) 6,600 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसको वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट परमाणु क्षमता आयोजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

(घ) 67,280 मेगावाट सौर, 6,500 मेगावाट पवन तथा 60,040 मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 1,57,800 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है जबकि 35,440 मेगावाट सौर तथा 11,480

मेगावाट हाइब्रिड विद्युत सहित 48,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता आयोजना के विभिन्न चरणों में है और इसको वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(ड) ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, कुल 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट घंटे क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाओं (पीएसपी) पर सहमति हो चुकी है और निर्माण किया जाना है। वर्तमान में 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन है और 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट बीईएसएस क्षमता निविदा चरण के अधीन में है।

2. **पारेषण आयोजना:** अंतर और अंतः-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है और इसका कार्यान्वयन उत्पादन क्षमता वृद्धि की मैचिंग समय सीमा में किया जाता है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 तक दस वर्ष की अवधि के दौरान लगभग 1,91,474 सीकेएम पारेषण लाइनें और 1,274 जीवीए परिवर्तन क्षमता (220 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) जोड़ने की योजना है।

3. **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:**

- (i) दिनांक 30 जून, 2025 तक शुरू की जाने वाली परियोजनाओं, दिसंबर, 2030 तक शुरू की जाने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं और दिसंबर 2032 तक शुरू की जाने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय विक्रय के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) प्रभार माफ कर दिया गया है।
- (ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचबल आरई (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- (iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईएस) आरई विद्युत की खरीद के लिए नियमित रूप से बोलियां आमंत्रित कर रही हैं।
- (iv) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है।
- (v) स्टीप आरई ट्रजेक्टरी के लिए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2032 तक पारेषण योजना तैयार की गई है।
- (vi) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए हरित ऊर्जा गलियारा स्कीम के तहत नई अंतः राज्यीय पारेषण लाइनों को बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता बनाने के लिए वित्त पोषित किया गया है।
- (vii) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर संस्थापित करने हेतु आरई विकासकर्ताओं को भूमि एवं पारेषण अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सौर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।
- (viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत जनजातीय एवं पीवीटीजी बस्तियों/गाँवों के लिए नई सौर विद्युत योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें प्रारंभ की गई हैं।

- (ix) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को प्रोत्साहित करने हेतु, नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) तथा उसके पश्चात नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) ट्रजेक्टरी वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित की गई है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत नामित सभी उपभोक्ताओं पर लागू नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) का अनुपालन न किए जाने पर शास्ति लगाई जाएंगी।
- (x) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है।
- (xi) नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत के अंतरण के माध्यम से बिक्री को सुगम बनाने हेतु ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू की गई है।
- (xii) सौर पीवी मॉड्यूल की आपूर्ति श्रृंखला के स्थानीयकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना प्रारंभ की गई है।

## वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए देश में ऊर्जा के मामले में विद्युत आपूर्ति का राज्य-वार ब्यौरा।

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0	1,789	1,789	0	0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0	35,501	35,496	5	0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>4,63,088</b>	<b>4,58,640</b>	<b>4,449</b>	<b>1</b>	<b>4,76,852</b>	<b>4,74,946</b>	<b>1,906</b>	<b>0.4</b>
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0	1,45,768	1,45,740	28	0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
<b>महाराष्ट्र</b>	<b>1,87,309</b>	<b>1,87,197</b>	<b>111</b>	<b>0.1</b>	<b>2,07,108</b>	<b>2,06,931</b>	<b>176</b>	<b>0.1</b>
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10,018	10,018	0	0	10,164	10,164	0	0
गोवा	4,669	4,669	0	0	5,111	5,111	0	0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>4,77,393</b>	<b>4,76,808</b>	<b>586</b>	<b>0.1</b>	<b>5,17,714</b>	<b>5,17,301</b>	<b>413</b>	<b>0.1</b>
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0	84,623	84,613	9	0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0
पुडुचेरी	3,051	3,050	1	0	3,456	3,455	1	0
लक्षद्वीप	64	64	0	0	64	64	0	0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>3,71,467</b>	<b>3,70,900</b>	<b>567</b>	<b>0.2</b>	<b>4,19,531</b>	<b>4,19,293</b>	<b>238</b>	<b>0.1</b>
बिहार	39,545	38,762	783	2	41,514	40,918	596	1.4
झारखंड	26,339	26,330	9	0	26,560	26,552	8	0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0	544	543	0	0
अंडमान-निकोबार	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.18562
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>1,82,791</b>	<b>1,80,888</b>	<b>1,903</b>	<b>1</b>	<b>1,92,013</b>	<b>1,90,747</b>	<b>1,266</b>	<b>0.7</b>
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0
असम	11,465	11,465	0	0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0	684	684	0	0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0	1,691	1,691	0	0
<b>पूर्वांचल क्षेत्र</b>	<b>18,758</b>	<b>18,680</b>	<b>78</b>	<b>0.4</b>	<b>20,022</b>	<b>19,733</b>	<b>289</b>	<b>1.4</b>
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>15,13,497</b>	<b>15,05,914</b>	<b>7,583</b>	<b>0.5</b>	<b>16,26,132</b>	<b>16,22,020</b>	<b>4,112</b>	<b>0.3</b>

देश में वर्ष 2024-25 और वर्तमान वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए ऊर्जा के मामले में वास्तविक विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा।

राज्य/ प्रणाली/ क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - दिसंबर, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति ऊर्जा	अनापूर्ति ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0	1,509	1,509	1	0.0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0	31,011	31,004	7	0.0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0	55,932	55,867	65	0.1
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	10,295	10,259	36	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	14,874	14,862	12	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0	60,852	60,811	41	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	82,782	82,782	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	1,29,271	1,29,245	26	0.0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	12,634	12,585	49	0.4
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>5,18,869</b>	<b>5,17,917</b>	<b>952</b>	<b>0.2</b>	<b>4,00,371</b>	<b>4,00,135</b>	<b>236</b>	<b>0.1</b>
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1	31,484	31,475	8	0.0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0	1,18,066	1,18,066	0	0.0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	75,024	75,017	7	0.0
<b>महाराष्ट्र</b>	<b>2,01,816</b>	<b>2,01,757</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>1,49,339</b>	<b>1,49,330</b>	<b>9</b>	<b>0.0</b>
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10,852	10,852	0	0	8,437	8,437	0	0.0
गोवा	5,411	5,411	0	0	4,085	4,085	0	0.0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>5,28,924</b>	<b>5,28,701</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>3,96,482</b>	<b>3,96,458</b>	<b>24</b>	<b>0.0</b>
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0	59,580	59,574	6	0.0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0	61,137	61,130	7	0.0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0	67,697	67,687	9	0.0
केरल	31,624	31,616	8	0	22,947	22,945	2	0.0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0	99,673	99,664	10	0.0
पुडुचेरी	3,549	3,549	0	0	2,693	2,690	3	0.1
लक्षद्वीप	68	68	0	0	54	54	0	0.0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>4,25,373</b>	<b>4,25,349</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>3,13,762</b>	<b>3,13,724</b>	<b>38</b>	<b>0.0</b>
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	37,299	37,283	15	0.0
डीवीसी	25,891	25,888	3	0	18,590	18,587	3	0.0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	11,717	11,711	6	0.1
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	34,037	34,032	5	0.0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	56,921	56,888	32	0.1
सिक्किम	574	574	0	0	378	378	0	0.0
अंडमान-निकोबार	425	413	12	2.9	316	299	17	5.5
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>2,00,180</b>	<b>1,99,806</b>	<b>374</b>	<b>0.2</b>	<b>1,58,986</b>	<b>1,58,924</b>	<b>62</b>	<b>0.0</b>
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0	909	909	0	0.0
असम	12,843	12,837	6	0	10,973	10,973	0	0.0
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	863	861	3	0.3
मेघालय	2,046	2,046	0	0	1,542	1,542	0	0.0
मिजोरम	709	709	0	0	559	559	0	0.0
नागालैंड	938	938	0	0	772	772	0	0.0
त्रिपुरा	1,939	1,939	0	0	1,523	1,523	0	0.0
<b>उत्तर-पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>20,613</b>	<b>20,596</b>	<b>16</b>	<b>0.1</b>	<b>17,227</b>	<b>17,224</b>	<b>3</b>	<b>0.0</b>
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>16,93,959</b>	<b>16,92,369</b>	<b>1,590</b>	<b>0.1</b>	<b>12,86,829</b>	<b>12,86,465</b>	<b>363</b>	<b>0.0</b>

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-115

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन

†115. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि पड़ोसी राज्यों में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों (थर्मल पावर प्लांट्स) से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली के वायु प्रदूषण में किस सीमा तक योगदान देता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने कई कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को 'फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन' (एफजीडी) प्रणाली जैसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने से (समय विस्तार के अतिरिक्त) छूट प्रदान की है और यदि हाँ, तो ऐसी छूट प्राप्त इकाइयों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि इस तरह की छूट से पड़ोसी क्षेत्रों में निरंतर उच्च उत्सर्जन हो सकता है और इस प्रकार प्रदूषण का भार स्थानांतरित हो सकता है और यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) उत्सर्जन मानदंडों का कड़ा अनुपालन लागू करने, परिचालन प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने और एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रदूषण भार के हस्तांतरण को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ठोस प्रभाव उत्पन्न किया जा सके?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के 300 किमी के दायरे में कुल 11 कोयला-आधारित तापीय विद्युत संयंत्र (टीपीपी) अब स्थित हैं, जिनमें 35 यूनिट (13,555 मेगावाट) शामिल हैं [अर्थात्-हरियाणा: 05 टीपीपी (12 यूनिट), पंजाब: 04 टीपीपी (13 यूनिट) तथा उत्तर प्रदेश: 02 टीपीपी (10 यूनिट)]।

द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टैरी)-ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी (2018) के अनुसार, वर्ष 2016 की सर्दियों के दौरान दिल्ली में पीएम<sub>2.5</sub> और पीएम<sub>10</sub> के स्तर में विद्युत संयंत्रों का योगदान क्रमशः 6% और 5% आंका गया था, जबकि 2016 की गर्मियों के दौरान, योगदान 7% था। तथापि, बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र अध्ययन अवधि के दौरान चालू था, जिसे अक्टूबर, 2018 से स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

**(ख) से (ग) :** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना के माध्यम से कोयला/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) के लिए उत्सर्जन मानकों [सल्फर डाइऑक्साइड (SO<sub>2</sub>) सहित] को अधिसूचित किया था। इसके अलावा, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए टीपीपी को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रावधान किया है:

**श्रेणी क:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में या दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में;

**श्रेणी ख:** गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में;

**श्रेणी ग:** श्रेणी क और ख में शामिल के अलावा

केंद्र सरकार द्वारा एमओईएफएंडसीसी की दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में निर्धारित SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानकों की समीक्षा, इन मानकों की समय-सीमा में छूट या ढील के संबंध में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं की सीमित उपलब्धता, इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, आपूर्ति श्रृंखला पर कोविड-19 महामारी का नकारात्मक प्रभाव, उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण मूल्य वृद्धि, परिवेशी वायु में कम SO<sub>2</sub> सांद्रता और विद्युत कीमत में वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं पर भारी बोझ आदि को ध्यान में रखते हुए की गई है।

इसके अलावा, इन मानकों की प्रभावशीलता और औचित्य तथा क्षेत्र के समग्र परिवेशी वायु प्रदूषण में इनकी भूमिका के संबंध में स्वतंत्र शोध संस्थानों द्वारा किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों को भी इन मानकों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता और उनके प्रवर्तन की आवश्यकता का मूल्यांकन करने के लिए ध्यान में रखा गया था।

उपर्युक्त के आधार पर, एमओईएफएंडसीसी ने दिनांक 11.07.2025 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता और अनुपालन समयसीमा निर्दिष्ट की गई है:

श्रेणी	SO <sub>2</sub> उत्सर्जन मानकों की प्रयोज्यता	अनुपालन के लिए समय-सीमा (नॉन-रिटायरिंग यूनिट)	अनुपालन से छूट के लिए यूनिट के रिटायरमेंट की अंतिम तिथि
श्रेणी क	अनिवार्य	31.12.2027	31.12.2030
श्रेणी ख	विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ताप परियोजनाओं) की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाना है।  यदि किसी टीपीपी को SO <sub>2</sub> उत्सर्जन मानकों से छूट के लिए विचार किया जाता है, तो ऐसे टीपीपी को दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742(अ) के अनुसार स्टैक	31.12.2028	

	हाईट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।		
श्रेणी ग	दिनांक 30.08.1990 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 742 (अ) के अनुसार स्टैक हाईट का अनुपालन करने की शर्त पर लागू नहीं।	31.12.2029	

टीपीपी में SO<sub>2</sub> उत्सर्जन मानकों की श्रेणीवार प्रयोज्यता का निर्धारण विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनों और देश भर में, टीपीपी के निकटवर्ती क्षेत्रों सहित, परिवेशी SO<sub>2</sub> सांद्रता के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। इस दृष्टिकोण में घनी आबादी वाले और अन्य वायु प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसे कम करने संबंधी एहतियाती सिद्धांत को अपनाया गया है, साथ ही यह जल, सहायक विद्युत और चूना पत्थर के अतिरिक्त उपभोग से बचाव कर संसाधन संरक्षण पर भी जोर देता है, और किए गए रोकथाम उपायों के प्रचालन के परिणामस्वरूप कार्बन फुटप्रिंट/CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में वृद्धि को रोकता है, तथा इसके साथ ही इन उपायों के लिए अपेक्षित चूना पत्थर के खनन और परिवहन पर भी ध्यान देता है।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से 300 किमी के भीतर स्थित 11 टीपीपी (35 यूनिट) में से 14 यूनिट (5,350 मेगावाट) श्रेणी-क के अंतर्गत आती हैं, जबकि शेष 21 यूनिट (8,205 मेगावाट) श्रेणी-ग के अंतर्गत आती हैं। इन दिल्ली-एनसीआर संयंत्रों का विवरण SO<sub>2</sub> अनुपालन स्थिति के साथ अनुबंध पर दिया गया है।

**(घ) :** तापीय विद्युत संयंत्रों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) द्वारा स्थापना और/या संचालन के लिए सहमति प्रदान करके विनियमित किया जाता है। इन अधिनियमों में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन न करने के लिए दंडात्मक प्रावधान भी शामिल हैं।

इसके अलावा, निर्धारित समय सीमा से अधिक अनुपालन न करने की स्थिति में, अनुपालन न करने वाले टीपीपी पर निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति भी लगाई जा सकती है:

समय-सीमा के बाद गैर-अनुपालन प्रचालन	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (₹. प्रति यूनिट उत्पादित विद्युत)
0-180 दिन	0.20
181-365 दिन	0.30
366 दिन तथा आगे	0.40

दिल्ली-एनसीआर संयंत्रों का विवरण SO<sub>2</sub> अनुपालन स्थिति के साथ

क्रम सं.	राज्य	क्षेत्र	संगठन	परियोजना का नाम	श्रेणी	यूनिट सं.	कुल क्षमता (मेगावाट)	कमीशनिंग की तिथि	एफजीडी संस्थापना स्थिति
1	हरियाणा	केंद्रीय	एनटीपीसी	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	क	1	500	31-10-2010	एफजीडी संस्थापित
2	हरियाणा	केंद्रीय	एनटीपीसी	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	क	2	500	05-11-2011	एफजीडी संस्थापित
3	हरियाणा	केंद्रीय	एनटीपीसी	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	क	3	500	07-11-2012	एफजीडी संस्थापित
4	हरियाणा	निजी	जेएचपीएल (एचआर)	महात्मा गांधी टीपीएस	क	1	660	12-01-2012	एफजीडी संस्थापित
5	हरियाणा	निजी	जेएचपीएल (एचआर)	महात्मा गांधी टीपीएस	क	2	660	11-04-2012	एफजीडी संस्थापित
6	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	पानीपत टीपीएस	क	6	210	31-03-2001	बोली आमंत्रित
7	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	पानीपत टीपीएस	क	7	250	28-09-2004	बोली आमंत्रित
8	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	पानीपत टीपीएस	क	8	250	28-01-2005	बोली आमंत्रित
9	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	राजीव गांधी टीपीएस	ग	1	600	31-03-2010	श्रेणी ग यूनिट को एमओईएफएंडससी के दिनांक 11.07.2025 की अधिसूचना के तहत छूट दी गई है।
10	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	राजीव गांधी टीपीएस	ग	2	600	01-10-2010	
11	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	यमुना नगर टीपीएस	ग	1	300	01-11-2007	
12	हरियाणा	राज्य	एचपीजीसीएल	यमुना नगर टीपीएस	ग	2	300	29-03-2008	
13*	पंजाब	निजी	एनपीएल	राजपुरा टीपीपी	ग	1	700	24-01-2014	
14*	पंजाब	निजी	एनपीएल	राजपुरा टीपीपी	ग	2	700	06-07-2014	
15	पंजाब	निजी	टीएसपीएल	तलवंडी साबो टीपीपी	ग	1	660	17-06-2014	
16	पंजाब	निजी	टीएसपीएल	तलवंडी साबो टीपीपी	ग	2	660	25-10-2015	
17	पंजाब	निजी	टीएसपीएल	तलवंडी साबो टीपीपी	ग	3	660	29-03-2016	
18	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल	जीएच टीपीएस (लेह.एमओएच.)	ग	1	210	29-12-1997	
19	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल	जीएच टीपीएस (लेह.एमओएच.)	ग	2	210	16-10-1998	
20	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल	जीएच टीपीएस (लेह.एमओएच.)	ग	3	250	03-01-2008	
21	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल	जीएच टीपीएस (लेह.एमओएच.)	ग	4	250	31-07-2008	
22	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल	रोपड़ टीपीएस	ग	3	210	31-03-1988	
23	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल	रोपड़ टीपीएस	ग	4	210	29-01-1989	
24	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल	रोपड़ टीपीएस	ग	5	210	29-03-1992	
25	पंजाब	राज्य	पीएसपीसीएल	रोपड़ टीपीएस	ग	6	210	30-03-1993	
26	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	क	1	210	21-12-1991	एफजीडी संस्थापित
27	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	क	2	210	18-12-1992	एफजीडी संस्थापित
28	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	क	3	210	23-03-1993	एफजीडी संस्थापित
29	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	क	4	210	24-03-1994	एफजीडी संस्थापित
30	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	क	5	490	25-01-2010	एफजीडी संस्थापित
31	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	एनटीपीसी	दादरी (एनसीटीपीपी)	क	6	490	16-07-2010	एफजीडी संस्थापित
32	उत्तर प्रदेश	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस	ग	7	105	31-03-1978	श्रेणी ग यूनिट को एमओईएफ एंड सीसी के दिनांक 11.07.2025 के अधिसूचना के तहत छूट दी गई है।
33	उत्तर प्रदेश	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस	ग	8	250	27-09-2011	
34	उत्तर प्रदेश	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस	ग	9	250	25-05-2012	
35	उत्तर प्रदेश	राज्य	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस	ग	10	660	29-01-2022	एफजीडी संस्थापित

\* राजपुरा टीपीपी, एनपीएल की यूनिट सं.1 और यूनिट सं.2 (2x700 मेगावाट) में एफजीडी की संस्थापना पूरी हो चुकी है और एफजीडी प्रणाली क्रमशः जुलाई, 2023 तथा जनवरी, 2024 से "परीक्षण और कमीशनिंग के लिए तैयार" हैं। तथापि, यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-133

दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से विद्युत की खरीद

†133. श्री दुष्यंत सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उस प्रणाली का ब्यौरा क्या है जिसके माध्यम से देश में वाया एक्सचेंज विद्युत का व्यापार किया जाता है, साथ ही साथ मूल्य का पता लगाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है और विद्युत एक्सचेंज के माध्यम से कुल कितनी विद्युत का प्रापण किया जाता है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (आईईएक्स), पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (एचपीएक्स) जैसे प्रमुख विद्युत एक्सचेंज केन्द्रों के माध्यम से विद्युत के औसत प्रापण मूल्य का ब्यौरा क्या है और दिन एवं रात दोनों के लिए दरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने होमस्टे, आतिथ्य इकाइयों और एमएसएमई जैसे उभरते उद्योगों की ऊर्जा लागत को कम करते हेतु कोई विशेष प्रोत्साहन और रियायती प्रशुल्क की परिकल्पना की है या कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : विद्युत एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हैं जो पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और विनियमित तरीके से विद्युत की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं। पावर एक्सचेंजों को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के अनुबंधों के लिए समय-समय पर संशोधित सीईआरसी पावर मार्केट रेगुलेशन, 2021 में मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इन एक्सचेंजों के माध्यम से खरीदी गई कुल विद्युत की मात्रा 143.75 बिलियन यूनिट थी। विभिन्न तंत्रों और मूल्य निर्धारण प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के अनुबंधों से एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग की जाती है। भारत में एक्सचेंजों में जिस तंत्र के माध्यम से विद्युत का व्यापार किया जाता है, उसके विवरण के साथ-साथ मूल्य निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया **अनुबंध-I** पर दी गई है।

(ख) : विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से भारत औसत विद्युत खरीद मूल्य का विवरण, पिछले पांच वर्षों के लिए संबंधित कुल मात्रा, चरम और गैर-चरम घंटों के लिए कीमतों का पृथक ब्यौरा, **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ का निर्धारण संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और विद्युत की लागत की उचित वसूली सहित प्रासंगिक कारकों पर उचित विचार करने के बाद टैरिफ निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार, राज्य सरकारों को ऐसे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत को कम करने के लिए किसी भी वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अधिकार है।

विभिन्न प्रकार के अनुबंधों के लिए मूल्य खोज प्रक्रिय निम्नानुसार है

अनुबंध प्रकार	मूल्य खोज के लिए मैचिंग तंत्र
एकीकृत- डे अहेड मार्केट	समान मूल्य के साथ दोतरफा बंद नीलामी
रियल टाइम मार्केट	
इंट्रा-डे	निरंतर मैचिंग
डे अहेड कंटिंजेन्सी	
टर्म अहेड मार्केट* - दैनिक	समान मूल्य चरण नीलामी
टर्म अहेड मार्केट* - साप्ताहिक	
टर्म अहेड मार्केट* - मासिक	
टर्म अहेड मार्केट* - किसी भी दिन एकल पक्षीय अनुबंध (एडीएस)	रिवर्स नीलामी

\*ग्रीन एंड हाई प्राइस टर्म अहेड मार्केट सहित

- i. सभी 3 विद्युत एक्सचेंजों के लिए विभिन्न बाजार खंडों में कुल मात्रा के साथ मूल्य का विवरण (प्रति किलोवाट घंटा में) (दिन के दौरान (24 घंटे))।

वर्ष	डे अहेड मार्केट	ग्रीन डे अहेड मार्केट	उच्च मूल्य डे अहेड मार्केट	रियल टाईम मार्केट	टर्म अहेड मार्केट	ग्रीन टर्म अहेड मार्केट	उच्च दर टर्म अहेड मार्केट	कुल मात्रा (बिलियन यूनिट में)
2021-22	4.39	5.29	-	4.19	4.48	4.65	-	101.45
2022-23	5.96	6.50	-	5.66	6.91	6.28	-	102.95
2023-24	5.25	5.81	14.41	5.05	7.04	5.56	14.70	121.49
2024-25	4.48	4.09	8.81	4.25	7.15	4.78	15.97	143.75
2025-26 (दिसंबर, 2025 तक)	3.89	3.57	13.15	3.58	6.01	5.03	15.44	124.10

- ii. सभी 3 विद्युत एक्सचेंजों के लिए विभिन्न बाजार खंडों में मूल्य (उच्चतम घंटों के दौरान) का विवरण।

वर्ष	डे अहेड मार्केट	ग्रीन डे अहेड मार्केट	उच्च मूल्य डे अहेड मार्केट	रियल टाईम मार्केट	टर्म अहेड मार्केट	ग्रीन टर्म अहेड मार्केट	उच्च दर टर्म अहेड मार्केट
2021-22*	5.76	6.55	-	5.40	4.55	4.89	-
2022-23*	7.74	8.29	-	7.06	7.52	6.33	-
2023-24*	6.81	7.36	14.34	6.39	7.67	5.72	15.09
2024-25#	6.74	6.93	8.57	6.06	7.88	5.75	16.17
2025-26# (दिसंबर, 2025 तक)	6.77	7.17	14.40	5.66	7.13	5.86	15.46

\* उच्चतम घंटे: 17:00 से 23:00 बजे तक

#उच्चतम घंटे: 18:00 से 23:00 बजे तक

- iii. सभी 3 विद्युत एक्सचेंजों के लिए विभिन्न बाजार खंडों में मूल्य (गैर-चरम घंटों के दौरान) का विवरण

वर्ष	डे अहेड मार्केट	ग्रीन डे अहेड मार्केट	उच्च मूल्य डे अहेड मार्केट	रियल टाईम मार्केट	टर्म अहेड मार्केट	ग्रीन टर्म अहेड मार्केट	उच्च दर टर्म अहेड मार्केट
2021-22*	3.93	4.87	-	3.78	4.17	4.52	-
2022-23*	5.36	5.90	-	5.19	6.55	5.98	-
2023-24*	4.73	5.29	14.69	4.60	6.90	5.58	14.35
2024-25#	3.88	3.70	8.69	3.83	6.69	4.60	15.77
2025-26# (दिसंबर, 2025 तक)	3.11	3.03	13.81	3.04	5.40	6.16	16.36

\* गैर-उच्चतम घंटे: 00:00 से 17:00 बजे और 23:00 से 24:00 बजे तक

#गैर-उच्चतम घंटे: 00:00 से 18:00 बजे तक और 23:00 से 24:00 बजे तक

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-167  
दिनांक 29 जनवरी, 2026 को उत्तरार्थ

पावर ग्रिड एवं पारेषण अवसंरचना

†167. श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सरकार के समन्वय से कृषि, एमएसएमई तथा बड़े औद्योगिक क्लस्टरों से बढ़ती मांग के दृष्टिगत महाराष्ट्र के पावर ग्रिड एवं विद्युत पारेषण अवसंरचना की पर्याप्तता का आकलन किया है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य के कई क्षेत्रों में विद्यमान क्षमता अपर्याप्त है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में दर्ज विद्युत कटौती, अनियोजित बाधाओं तथा लोड-शेडिंग की घटनाओं की संख्या का जिला-वार विवरण उपलब्ध है तथा इनका कृषि कार्यों, औद्योगिक उत्पादन एवं रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या लगातार आ रही बाधाएँ पारेषण अवरोधों, पुराने ट्रांसफार्मरों, कमजोर ग्रिड क्षमता, ईंधन संबंधी सीमाओं अथवा वितरण उपयोगिताओं का वित्तीय दबाव इसके लिए उत्तरदायी हैं यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं, उप-केंद्रों तथा ट्रांसमिशन लाइनों का ब्यौरा एवं समय-सीमा क्या है; और

(च) क्या परियोजनाओं के चालू होने में विलंब से राज्य में दीर्घकालिक विद्युत आपूर्ति संबंधी बाधाएँ और अधिक गंभीर हुई हैं, यदि हाँ, तो इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, इसलिए अतः-राज्यीय विद्युत ग्रिड और पारेषण अवसंरचना की आयोजना, विकास और प्रचालन मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

केंद्र सरकार, विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में काम करती है, और कृषि और औद्योगिक क्लस्टरों से मांग सहित विद्युत की मांग में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संसाधन पर्याप्तता (आरए) मूल्यांकन और पारेषण प्रणाली आयोजना में सहायता सहित तकनीकी तथा आयोजना सहायता प्रदान करती है।

बढ़ती मांग एवं प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतर-राज्यीय तथा अंतः-राज्यीय पारेषण अवसंरचना का सुदृढीकरण एवं संवर्धन चरणबद्ध रूप से नियोजित एवं क्रियान्वित किया गया है।

(घ) : महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (एमएसईटीसीएल) के अनुसार, वर्तमान में दो अंतर-राज्य पारेषण लाइनों में बाधाएं देखी जाती हैं: 400 केवी पुणे (पीजी)-चकन लाइन और 220 केवी बभलेश्वर - नासिक लाइन। समस्या को कम करने के लिए अतिरिक्त लाइनों और उपकेंद्रों के कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

(ङ) : उत्पादन क्षमता के संबंध में, महाराष्ट्र में एक ताप विद्युत परियोजना, अर्थात् कोराडी ताप विद्युत स्टेशन, चरण-V (2×660 मेगावाट की यूनिट 11 और 12) निर्माणाधीन है, जो नवंबर, 2029 तक चालू किए जाने के लिए निर्धारित है।

महाराष्ट्र राज्य की मौजूदा उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) 10,800 मेगावाट है और कुल अंतरण क्षमता (टीटीसी) 11,300 मेगावाट है, जो अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) नेटवर्क से विद्युत के पारेषण की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करती है। तथापि, महाराष्ट्र की भविष्य की विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए 13 आईएसटीएस परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

महाराष्ट्र राज्य पारेषण यूटिलिटी के अनुसार, महाराष्ट्र के अंतः-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएन-एसटीएस) को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2033-34 तक कार्यान्वयन के लिए कुल 196 अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) सबस्टेशनों और 19,360 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) की नई 100 केवी से 765 केवी वोल्टेज स्तर की पारेषण लाइनें नियोजित हैं। वर्तमान में, 11 आईएन-एसटीएस पारेषण स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। विवरण **अनुबंध-II** पर है।

(च) : महाराष्ट्र राज्य में आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा राज्य में विद्युत की आवश्यकता के अनुरूप है। ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच का अंतर 2022-23 के दौरान 0.1% से घटकर वर्तमान वर्ष के दौरान 'शून्य' हो गया है।

## अंतर-राज्यीय पारेषण स्कीमें

क्रम सं.	पारेषण प्रणाली	अनुमानित एससीओडी
1	गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से चरण-V (8 गीगावाट) के तहत विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली: भाग क	मई'29
2	एसआर ग्रिड और डब्ल्यूआर ग्रिड के बीच अंतर-क्षेत्रीय सुदृढीकरण	अक्टूबर'27
3	गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से चरण-IV (7 गीगावाट) के तहत विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली: भाग ग	अक्टूबर'26
4	दक्षिणी क्षेत्र में उच्च नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य के दौरान अधिशेष विद्युत के निर्यात के लिए पश्चिमी क्षेत्र एवं दक्षिणी क्षेत्र में आईएसटीएस नेटवर्क विस्तार स्कीम	जून'26
5	चरण-IV (7 गीगावाट) के तहत गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में संभावित आरईजेड: भाग घ	सितंबर'27
6	तलेगांव (पुणे) के पास पंप भंडारण क्षमता की पूर्ति के लिए पश्चिमी क्षेत्र में नेटवर्क विस्तार स्कीम	जनवरी'28
7	धुले 2 गीगावाट आरईजेड से विद्युत निकासी के लिए पारेषण स्कीम	जून'26
8	महाराष्ट्र के कल्लाम क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र नेटवर्क विस्तार स्कीम	जून'26
9	सोलापुर में आरई परियोजना से विद्युत निकालने के लिए पारेषण प्रणाली	जून'26
10	आईएसटीएस भाग ख से इसके एटीएस को बढ़ाने के लिए गुजरात में पारेषण नेटवर्क का विस्तार	मार्च'26
11	महाराष्ट्र में 400/220 केवी बोईसर सबस्टेशन पर 400/220 केवी, 1x500 एमवीए (5वां) आईसीटी द्वारा परिवर्तन क्षमता का संवर्धन	फरवरी'26
12	गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में संभावित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से चरण-IV (7 गीगावाट) के तहत विद्युत निकासी के लिए पारेषण प्रणाली: भाग ई4	मार्च'26
13	महाराष्ट्र में नवी मुंबई (जीआईएस) (पीजी) एस/एस में 400/220 केवी, 1x500 एमवीए (तीसरा) आईसीटी द्वारा परिवर्तन क्षमता का विस्तार	सितंबर'27

## महाराष्ट्र में अंतः राज्यीय पारेषण स्कीमें

क्रम सं	पारेषण प्रणाली	अनुमानित एससीओडी
1	400 केवी पुणे (पीजी)-चाकन-एस/सी का पुनर्निर्माण	फरवरी'26
2	संबंधित पारेषण प्रणाली के साथ 400/220 केवी पिंपलगांव सबस्टेशन	सितम्बर'27
3	1500 एमवीए, 765/400 केवी एकटुनी आईसीटी-3	मार्च'27
4	500 एमवीए, 400/220 केवी अलकुड आईसीटी-2	जून'26
5	संबंधित पारेषण प्रणाली के साथ 400/220 केवी पाडघे (एमएच) बस स्प्लिट सबस्टेशन	मार्च'29
6	संबंधित पारेषण प्रणाली के साथ 400/220 केवी कालवा (एमएच) बस स्प्लिट सबस्टेशन	मार्च'28
7	आईएन-एसटीएस प्रणाली में स्टेटकॉम ((1) 400 केवी कराड (2) 400 केवी जेजुरी (3) 400 केवी धुले (4) 400 केवी कलवा (5) 400 केवी पडघे (6) 220 केवी बोरीवली (7) 220 केवी बोईसर (8) 220 केवी आरे (9) 400 केवी चाकण (10) 400 केवी लोनीकंद)	400 केवी धुले और 400 केवी लोनीकंद - सितंबर'2028 बाकी अन्य - मार्च'30
8	संबंधित पारेषण प्रणाली के साथ 400/220 केवी वेलगांव सबस्टेशन	जनवरी'28
9	संबंधित पारेषण प्रणाली के साथ 400/220 केवी हिंजेवाड़ी सबस्टेशन	मार्च'26
10	400 केवी बाबलेश्वर-कुडूस-डी/सी और कुडूस से 220 केवी आउटलेट (2x500 एमवीए, 400/220 केवी कुडूस आईसीटी 2017 से आइडल चार्ज)	मार्च'26
11	पुणे (जीआईएस) से 220 केवी डाउनस्ट्रीम नेटवर्क	जनवरी'26

\*\*\*\*\*